## नगर निगम, बीकानेर

(राजस्थान नमस्पालिका अधिनियम २००९ की धारा के अन्तर्गत)

अनापति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.ः

LSG/BIKANER/FIRENOC/2021-22/8020

जारी दिनांकः

31-MAR-2022

पेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः

TOLARAM PERIWAL

आवेदक का पताः

IDGAH BARI KE ANDER DHARAM NAGAR DWAR,NAYA

SAHAR, BIKANER

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL, I, GAJNER ROAD, PUGAL FANTA, BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अनिन सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

## शर्ते:-

- अवापति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अविध देतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गाईस को वर्ष में कम से कम दो बार अधिनशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अविनशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- 4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 5. यदि राज्य संस्कार या निगम द्वारा भविष्य में कोई निगम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अञ्चिशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यस्त नहीं पाए जाने कि रियति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- 7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मवारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाय व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- 10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- 11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- 12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतस्वायी होगा ।
- 14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुक्टोर्स्ट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नारी किया ना रहा हैं वहा पर रुक्टोप रेस्टोर्स्ट का संवालन पूर्णतथा प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी

नगर निगम, बीकानेर

Secretary Maheshwari Public Schools

Bikaner

Principal
Maheshwari Public School
Bikaner

2022

0